औद्योगिक इकाइयों को सरकार दे रही भूमि

- यूपी सरकार ने भूखंड उपलब्ध कराने प्रक्रिया को आसान बनाया
- 588 वर्गमीटर से 1848 वर्ग मीटर तक के मिल सकेंगे भूखंड
- रिक्त भूखंड के लिए आवेदन उद्यमी कर सकते है ऑनलाइन आवेदन

झांसी,संवाददाता। यूपी सरकार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सुविधाजनक भूखंड उपलब्ध करा रही है। मोंठ तहसील में रिक्त भूखंड के लिए आप आवेदन कर सकते है। यहां 588 वर्गमीटर से लेकर 1848 वर्गमीटर तक के भूखंड मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को भूखंड उपलब्ध कराने प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा। झांसी जिले के मोठ तहसील के ग्राम लावन में मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट में उद्यमियों को लीज पर भूखंड उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां 30 भूखंड उपलब्ध हैं, जिन्हें नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट में अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित हैं। यहां 6 भूखण्ड 588 वर्गमीटर में, 22 भूखण्ड 1848 वर्गमीटर के तथा 2 भूखंड 1008 वर्गमीटर के हैं। भूखण्डों के आवण्टन के लिए उद्योग विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 15.01.2025 तक आवेदन कर सकते हैं। भूखण्ड आवण्टन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

बोले उद्योग उपायुक्त

उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि ग्राम लावन में मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट में उपलब्ध भूखण्डों का आवंटन 99 वर्ष की अवधि के लिए लीज के आधार पर किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उद्यमी आवेदन कर नीलामी में शामिल हो सकते हैं।